फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू जयपुर

नाथूराम बनाम घनश्याम एवं

मुकदमा संख्या / वर्ष : 03 / 2021

वाद

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	4/10/22	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 30/11/22 को पेश हो।	
	30/11/22	व.प्र.3प. । पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 22/12/22 को पेश हो।	
	22/12/22	व.प्र.3प. । पत्रावली गत आदेशानुसार आगामी दिनांक 09/01/23 को पेश हो।	
	09/01/23	व०प्र०3प०। उभयपक्षकारान जरिये अधिवक्ता के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 12.03.22 पर अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पूर्व में स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया जा चुका है। जिससे उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.3.22 के अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद राजीनामा दिनांक 12.03.22 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। [illegible] लिखाया जाकर [illegible] किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–03/2021
उनवान–नाथूरामबनाम घनश्याम वगै0
निर्णय दिनांकः–09.01.2023

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–03/2021

उनवान

नाथूराम पुत्र श्री नानगराम, उम्र 75 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. घनश्याम दत्तक पुत्र कानाराम व श्योकुरी, उम्र 70 वर्ष (मृतक दौराने दावा)
   1/1. मोहनी देवी पत्नि घनश्याम
   1/2. सीता देवी पुत्री घनश्याम
   1/3. सरदारमल कुड़ी पुत्र घनश्याम
   1/4. गीता देवी पुत्री घनश्याम
   1/5. मीना देवीपुत्री घनश्याम
   1/6. सरोज देवीपुत्री घनश्याम
   1/7. सुभाष पुत्र घनश्याम
   1/8. राजेन्द्र सिंह कुड़ी पुत्र घनश्याम
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।
2. झाबरमल दत्तक पुत्र हणुता व छोटी, उम्र 70 वर्ष (मृतक दौराने दावा)
   2/1. सजना देवी पत्नि झाबरमल
   2/2. सुवा देवी पुत्री झाबरमल
   2/3. कुम्भाराम पुत्र झाबरमल
   2/4. मक्खनी देवी पुत्री झाबरमल
   2/5. सरोज देवी पुत्री झाबरमल
   2/6. श्रवणी देवी पुत्री झाबरमल
   2/7. अर्जुनलाल पुत्र झाबरमल
   2/8. हरलाल पुत्र झाबरमल
   2/9. लालचन्द पुत्र झाबरमल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।
3. फूलाराम पुत्र सूणाराम, उम्र 52 वर्ष (मृतक दौराने दावा)
   3/1. सन्तरा देवी पत्नि फूलाराम
   3/2. राजपाल पुत्र फूलाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

3 / 3. महेन्द्र पुत्र फूलाराम

3 / 4. बबीता पुत्री फूलाराम

3 / 5. अनिता पुत्री फूलाराम

3 / 6. सुनिता पुत्री फूलाराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

4. मुरली पुत्र मांगू, उम्र 80 वर्ष

5. माली पत्नि सागरमल, उम्र 45 वर्ष

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

6. गुलाब पत्नि चन्द्राराम, उम्र 50 वर्ष, जाति स्वामी, निवासी ग्राम राजारामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

7. झूमा पत्नि लालचन्द, उम्र ..... वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बाढ़वाली तन चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

8. प्रभू देवी पत्नि रामकुंवार, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम बाढ़वाली तन चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

9. ग्यारसी देवी पत्नि गंगूराम, उम्र 80 वर्ष

10. पोखर पुत्र रुघा, उम्र 80 वर्ष

11. लालू पुत्र मुरली, उम्र 60 वर्ष

12. सन्तोष देवी पत्नि सांवरमल, उम्र 35 वर्ष

13. सीता देवी पत्नि काशीराम, उम्र 37 वर्ष

समस्त जातियान जाट, निवासीयान ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

16. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

17. बैंक आफॅ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

18. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

19. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

20. सिंडीकेट बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

21. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

22. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
23. बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा सिंगोदकलां, जिला जयपुर।
24. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व तकासमा

अन्तर्गत धारा 88 व 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 09.01.2023

वादी ने उक्त वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जो काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वाके ग्राम सिंगोदकलां, पटवार हल्का सिंगोदकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खाता सं0 461 के खसरा नं0 23 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 24 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 25 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 26 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 27 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 28 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 29 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 30 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 32 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 33 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 34 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 35 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 36 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 37 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 38 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 39 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 40 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 41 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 42 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 47/2311 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 680/2575 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 683/2274 रकबा 0.01 है0, कुल किता 22 का कुल रकबा 10.07 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 का हिस्सा 1/2 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 9 ता 13 का 7/6 हिस्सा गैर विवादित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested

वाके ग्राम सरगोठ, पटवार हल्का सरगोठ, भू–अभिलेख [illegible] रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में खाता सं0 149 के खसरा नं0 544 र[illegible] 0.55 है0, खसरा नं0 544/3226 रकबा 1.53 है0, खसरा नं0 545 रकबा [illegible], खसरा नं0 545/3227 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 636 रकबा 0.95 है0, खसरा नं0 [illegible] रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 638 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 639 रकबा 1.55 है0, खसरा नं0 640 रकबा 7.16 है0, खसरा नं0 640/3201 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 641 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 642 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 643 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 644 रकबा

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

1.67 है0, खसरा नं0 645 रकबा 1.63 है0, खसरा नं0 646 रकबा 2.21 है0, खसरा नं0
653 रकबा 2.04 है0, खसरा नं0 654 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 740 रकबा 0.06 है0,
कुल किता 19 का कुल रकबा 22.73 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 142 के खसरा नं0 669
रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 672 रकबा 0.96 है0, खसरा नं0 673 रकबा 0.54 है0, खसरा
नं0 676 रकबा 0.78 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 143
के खसरा नं0 674 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 675 रकबा 5.22 है0, खसरा नं0 677
रकबा 7.17 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 12.40 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसके खाता
सं0 141, 142 व 143 में वादी का हिस्सा 1/6 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उक्त विवादित आराजियात वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 की संयुक्त कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि का आज दिन तक भी विधिवत तकासमा नहीं हुआ है, जिनमें वादी का हिस्सा उपरोक्तानुसार निहित है एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है अर्थात् विवादित आराजियात वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 की संयुक्त कब्जेकाश्त की भूमि है जिसका आज दिन तक भी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा नहीं हुआ है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 अपने–अपने हिस्से अनुसार विवादति आराजियात पर मनबंट के अनुसार बंटवारा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के मध्य हो रखा है जिसमें खाता सं0 461 में प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के हिस्से की भूमि वादी के कब्जे में है तथा इसी प्रकार खाता सं0 141, 142 व 143 में वादी के हिस्से की आराजी प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के कब्जेकाश्त में बराबर–बराबर हिस्से अनुसार है अर्थात् वाके ग्राम सिंगोदकलां में वादी कब्जाकाश्त है तथा ग्राम सरगोठ में प्रतिवादी सं0 1 ता 5 कब्जेकाश्त हैं। विवादित आराजी अलग–अलग राजस्व ग्राम, तहसील व जिले में होने व काफी दूरी पर होने के कारण वादी तथा प्रतिवादीगण सु0 1 ता 5 काश्त करने में बड़ी असुविधा का सामना करते है। जिससे आपसी समझाईश व सहमति से अलग–अलग जगह की काश्त करना तय कर रखा है तथा उसी अनुसार भूमि का विकास किया है। प्रतिवादी सं0 6 ता 8 वाके ग्राम सरगोठ में ही खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादी सं0 9 ता 13 वाके ग्राम सिंगोदकलां में ही खातेदार काश्तकार हैं, जिस कारण [illegible] पक्षकार बनाया गया है और उनके विरुद्ध हाजा वाद में कोई [illegible] ना ही उनके खातेदारी हकों पर किसी प्रकार का कोई [illegible] वादी द्वारा दिनांक 08.05.2019 को प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 से सम्पर्क कर [illegible] आराजियात का सुविधानुसार तकासमा करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी सं0 1 ता 5 द्वारा टालमटोल किया जाने पर वादी को उक्त वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

वादी द्वारा उक्त वाद पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 461 में प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–03/2021
उनवान–नाथूरामबनाम घनश्याम वगै0
निर्णय दिनांक:–09.01.2023

सं0 1 ता 4 का हिस्सा हजफ किया जाकर उनके हिस्से 1/2 भाग का वादी को काश्तकार घोषित करते हुए खातेदारी दर्ज किये जाने एवं इसी प्रकार वाके ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित आराजी खाता सं0 141, 142 व 143 प्रत्येक में वादी का हिस्सा 1/6 भाग को हजफ किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 ता 5 प्रत्येक के हक में 1/30 भाग वादी के हिस्से की भूमि को दर्ज किये जाने एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु संबंधित राजस्व अधिकारी को आदेशित किया जावे।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया। वकील वादी व प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 12.03.2022 को पेश किये गये राजीनाम के अनुसार वाद पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा राजीनामा दिनांक 12.03.2022 का बगौर अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं, जो वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। पत्रावली में वर्णित विवादित आराजियात् का विधिवत तकासमा नहीं किया हुआ है। न्यायालय अभिमत में वादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक राजीनामा दिनांक 12.03.2022 के किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा विवादित भूमि वाके ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 461 में प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का हिस्सा हजफ किया जाकर उनके हिस्से 1/2 भाग का वादी को काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाते हैं एवं इसी प्रकार वाके ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित आराजी खाता सं0 141, 142 व 143 प्रत्येक में वादी का हिस्सा 1/6 भाग को हजफ किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक के हक में 1/30 भाग वादी के हिस्से की भूमि को घोषितकिया जाकरखातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाते हैंएवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामदके आदेश दिये जाते हैं।

डिक्री जारी हो। राजीनामा दिनांक 12.03.2022 डिक्री व निर्णय का [illegible] डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं व तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर [illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–03/2021
उनवान–नाथूरामबनाम घनश्याम वगै0
निर्णय दिनांकः–09.01.2023

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़(R.A.S.)

उनवान

नाथूराम पुत्र श्री नानगराम, उम्र 75 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. घनश्याम दत्तक पुत्र कानाराम व श्योकुरी, उम्र 70 वर्ष (मृतक दौराने दावा)

1/1. मोहनी देवी पत्नि घनश्याम

1/2. सीता देवी पुत्री घनश्याम

1/3. सरदारमल कुड़ी पुत्र घनश्याम

1/4. गीता देवी पुत्री घनश्याम

1/5. मीना देवीपुत्री घनश्याम

1/6. सरोज देवीपुत्री घनश्याम

1/7. सुभाष पुत्र घनश्याम

1/8. राजेन्द्र सिंह कुड़ी पुत्र घनश्याम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

2. झाबरमल दत्तक पुत्र हणुता व छोटी, उम्र 70 वर्ष (मृतक दौराने दावा)

2/1. सजना देवी पत्नि झाबरमल

2/2. सुवा देवी पुत्री झाबरमल

2/3. कुम्भाराम पुत्र झाबरमल

2/4. मक्खनी देवी पुत्री झाबरमल

2/5. सरोज देवी पुत्री झाबरमल

2/6. श्रवणी देवी पुत्री झाबरमल

2/7. अर्जुनलाल पुत्र झाबरमल

2/8. हरलाल पुत्र झाबरमल

2/9. लालचन्द पुत्र झाबरमल

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

3. फूलाराम पुत्र सूणाराम, उम्र 52 वर्ष (मृतक दौराने दावा)

3/1. सन्तरा देवी पत्नि फूलाराम

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0—03/2021
उनवान—नाथूरामबनाम घनश्याम वगै0
निर्णय दिनांकः—09.01.2023

3/2. राजपाल पुत्र फूलाराम

3/3. महेन्द्र पुत्र फूलाराम

3/4. बबीता पुत्री फूलाराम

3/5. अनिता पुत्री फूलाराम

3/6. सुनिता पुत्री फूलाराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

4. मुरली पुत्र मांगू, उम्र 80 वर्ष

5. माली पत्नि सागरमल, उम्र 45 वर्ष

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

6. गुलाब पत्नि चन्द्राराम, उम्र 50 वर्ष, जाति स्वामी, निवासी ग्राम राजारामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

7. झूमा पत्नि लालचन्द, उम्र ..... वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बाढ़वाली तन चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

8. प्रभू देवी पत्नि रामकुंवार, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम बाढ़वाली तन चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

9. ग्यारसी देवी पत्नि गंगूराम, उम्र 80 वर्ष

10. पोखर पुत्र रुघा, उम्र 80 वर्ष

11. लालू पुत्र मुरली, उम्र 60 वर्ष

12. सन्तोष देवी पत्नि सांवरमल, उम्र 35 वर्ष

13. सीता देवी पत्नि काशीराम, उम्र 37 वर्ष

समस्त जातियान जाट, निवासीयान ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

16. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

17. बैंक आफॅ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

18. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

19. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

20. सिंडीकेट बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–03 / 2021
उनवान–नाथूरामबनाम घनश्याम वगै0
निर्णय दिनांकः–09.01.2023

21. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रींगस, जिला सीकर।

22. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

23. बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा सिंगोदकलां, जिला जयपुर।

24. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व तकासमा

अन्तर्गत धारा 88 व 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–03 / 2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगणमिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 461 में प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का हिस्सा हजफ किया जाकर उनके हिस्से 1/2 भाग का वादी को काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाते हैं एवं इसी प्रकार वाके ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित आराजी खाता सं0 141, 142 व 143 प्रत्येक में वादी का हिस्सा 1/6 भाग को हजफ किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक के हक में 1/30 भाग वादी के हिस्से की भूमि को घोषितकिया जाकर खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाते हैं एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामदके आदेश दिये जाते हैं।

डिक्री जारी हो। राजीनामा दिनांक 12.03.2022 डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं व तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested

निजी ....मबलिक .... बाबत .... खर्चा [illegible]
.... फीसदी सालाना आज की तारीख [illegible] वसूलियाबी तक [illegible]दा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 09.01.2023को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मोहर

मु0सं0–03/2021
उनवान–नाथूरामबनाम घनश्याम वगै0
निर्णय दिनांकः–09.01.2023

दस्तखत.........................
ओहदा.........................
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested